

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 669 OF 2025

IN THE MATTER OF:

Abhay Sharma

.... Applicant

Versus

State of U.P. & Ors.

.... Respondents

INDEX

S No.	Particulars	Page No.
1.	AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 3, UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, IN COMPLIANCE WITH THE ORDER DATED 05.01.2026 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI.	2 - 5
2.	<u>ANNEXURE- R3/1</u> A DETAILED JOINT COMMITTEE REPORT DATED 26.02.2026 ALONG WITH ITS RESPECTIVE ANNEXURES	6 - 24

DATE: 6/03/2026
PLACE: NEW DELHI

Aditya Vaibhav Singh

THROUGH
ADITYA VAIBHAV SINGH
COUNSEL FOR UPPCB/RESPONDENT-3
A-394, LGF, DEFENCE COLONY
NEW DELHI



**क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
सं० 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।**

पत्रांक -1007 / एल-297 / 2026

दिनांक 03 / 03 / 2026

मा०एन०जी०टी० प्रकरण / समयबद्ध / महत्वपूर्ण

सेवा में,

श्री आदित्य वैभव सिंह,
बोर्ड अधिवक्ता, मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

विषय:— मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-669 / 2025 अभय शर्मा बनाम उ०प्र० एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.01.2026 के अनुपालन में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का शपथ पत्र दाखिल किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-669 / 2025 अभय शर्मा बनाम उ०प्र० एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.01.2026 के अनुपालन में बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच386679 / सी-4 / एन०जी०टी०-280 / 2026 दिनांक 28.02.2026 द्वारा विधि अनुभाग से प्राप्त विधिकृत ज़ाफ़्ट सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त प्रेषित किया गया है।

तत्कम में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से उक्त योजित ओ०ए० संख्या-669 / 2025 अभय शर्मा बनाम उ०प्र० एवं अन्य में दाखिल किया जाने वाले शपथ पत्र को क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा हस्ताक्षरित नोटराइज्ड कर मय संलग्नकों के साथ इस निवेदन के साथ आपको प्रेषित है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में ससमय दाखिल करने का कष्ट करें।

उक्त योजित अपील की अग्रिम सुनवाई तिथि 11.03.2026 नियत है।

भवदीय

संलग्नक:—यथोक्त।

AMIT MISHRA Digitally signed by AMIT MISHRA
Date: 2026.03.03 16:19:17 +05'30'

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:— निम्नांकित महोदयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को उनके पत्रांक एच386679 / सी-4 / एन०जी०टी०-280 / 2026 दिनांक 28.02.2026 के क्रम में।
2. मुख्य विधि अधिकारी (प्रभारी), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 669 OF 2025

IN THE MATTER OF:

Abhay Sharma

.... Applicant

Versus



State of U.P. & Ors.

.... Respondents

**AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 3, UTTAR
PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, IN
COMPLIANCE WITH THE ORDER DATED 05.01.2026
PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN
TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI.**

I, Amit Mishra aged about 45 years, S/o Shri D.P Mishra presently posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter referred to as UPPCB), Agra, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That in the official capacity mentioned above, I am acquainted with the facts and circumstances of the case, and as such, I am competent and authorized to swear this affidavit.
2. That in the present Original Application, the grievance of the Applicant pertains to the illegal operation of two hot mix plants, namely Khushi Infotech, situated at Gata No. 1068/2




and G.G. Infotech, situated at Gata No. 960, located at Village Veerai, Tehsil Kheragarh, District Agra, which fall within the Taj Trapezium Zone (TTZ) area and are being operated in violation of applicable environmental laws, norms, and statutory regulations.

3. That vide order dated 05.01.2026, this Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi, was pleased to constitute a Joint Committee comprising representatives of the Central Pollution Control Board (CPCB), the Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB), and the District Magistrate, Agra, and directed the Committee to convene within two weeks, undertake site inspections, examine the grievances raised by the Applicant, associate the Applicant as well as the representative of the concerned Project Proponents, verify the factual position, suggest appropriate remedial measures, and submit its report, with the UPPCB designated as the nodal agency.


4. That in compliance with the aforesaid directions of this Hon'ble Tribunal, the constituted Joint Committee undertook a site visit and carried out an inspection of the hot mix plants in question on 24.02.2026, in the presence of representatives of the said project plants.

A detailed Joint Committee Report along with its respective annexures is attached herewith and marked as Annexure-R3/1.



5. That it is pertinent to point out that, instead of two hot mix plants, namely M/s Khushi Infotech situated at Gata No. 1068/2 and M/s G.G. Infotech, the Joint Committee, during inspection, found only one hot mix plant, namely M/s G.G. Infotech, installed and operating at Gata No. 960, located at Village Veerai, Tehsil Kheragarh, District Agra, falling within the Taj Trapezium Zone (TTZ) area.
6. That it is further worthwhile to mention that the Hot Mix Plant situated at Gata No. 960, Village Veerai, Tehsil Kheragarh, District Agra, falling within the notified Taj Trapezium Zone (TTZ) area, was found non-operational during the course of inspection in view of the Closure Order dated 23.02.2026 issued by the Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) under Section 33A of the *Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981* against M/s G.G. Infratech, and in compliance thereof. It is further submitted that the mixer drum and four-bin feeder found at the site were sealed by the Joint Committee during inspection, and the unit presently stands sealed and closed.
7. That the present affidavit is being submitted before this Hon'ble Tribunal for kind perusal and consideration.

8. That I state that the contents of the foregoing paragraphs have been stated by me in my official capacity and are based on official records maintained in the ordinary course of business, and that nothing material has been concealed therefrom.



[Signature]
DEPONENT

VERIFICATION:

Verified at AGRA on this the 02 day of MAR,
2026 that the contents of above affidavit are true and correct to my
knowledge based on records and information received and believed
to be true, no part of it is false and nothing material has been
concealed therefrom.

[Signature]
DEPONENT

At Agra on 11/04/2026
Explained to Sh. Amrit Mishra
read by Regional officer OPERS
I have understood the contents
I solemnly affirmed & declare on
 oath on 2/3/2026
 At Agra
 Certified by Self

[Signature]
NOTARY
2/3/2026
Pawan Kumar
Sharma Advocate
Distt. - AGRA
Regd No 2323/02
VALID-04/12/27
GOVT OF INDIA

JOINT INSPECTION REPORT IN COMPLIANCE WITH THE HON'BLE NGT ORDER DATED 05.01.2026 IN THE MATTER OF ABHAY SHARMA Vs. STATE OF U.P. & ORS. (ORIGINAL APPLICATION NO. 669/2025)

1.0 BACKGROUND:

In the matter of *Abhay Sharma Vs. State of U.P. & Ors.* (Original Application No. 669/2025), the Hon'ble National Green Tribunal (NGT), Principal Bench, New Delhi directed vide order dated 05.01.2026 as below:

"9..... In view of the averments made in the application, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representatives of Central Pollution Control Board (CPCB), Uttar Pradesh Pollution Control Board and District Magistrate, Agra and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and suggest appropriate remedial action. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

10. Responses by respondents no. 1 to 5 and report of the Joint Committee may be filed within two months.

11. List on 11.03.2026 for further consideration....."

2.0 Joint Committee: In compliance of the above NGT order following members have been nominated in the joint committee by the concerned authorities:

Sr. No.	Name and designation	Department
1.	Mr. Vinod Chaudhary, Sub-Divisional Magistrate-Judicial, Kheragarh, Agra	District Administration Agra, U.P. (Nominated by DM, Agra)
2.	Dr. Vipul Kumar Singh, Scientist 'C' Project Office, CPCB, Agra	Central Pollution Control Board (Nominated by CPCB)
3.	Mr. Amit Mishra Regional Officer, UPPCB, Agra	Uttar Pradesh Pollution Control Board (Nominated by UPPCB)

Copy of the said office Letters is appended as **Annexure I**

3.0 JOINT INSPECTION: In compliance to said order of the Hon'ble NGT dated 05-01-2026, joint team of officials from CPCB, UPPCB and District Administration, Agra visited the Hot Mix Plants At Village Veerai, Tehsil Kheragarh, District Agra, UP on 24.02.2026, carried out field inspection and collected information.

The inspection covered the sites as mentioned in the said order of the Hon'ble NGT dated 05-01-2026:

- M/s Khushi Infotech (Gata No. 1068/2) Village Veerai, Tehsil Kheragarh, District Agra.
- M/s G.G. Infotech (Gata No. 960) Village Veerai, Tehsil Kheragarh, District Agra.

Representative of the units M/s Khushi Infotech and M/s G.G. Infotech Mr. Sandeep Mittal was also present on the site during inspection for assisting joint team by providing necessary information.

4.0 General Information: -

Sr.No.	Particular	:	Details
1.	Type of Plant	:	Hot Mix Plant (Asphalt Drum Mix Plant capacity – 60 TPH)
2.	Location	:	Village Veerai, Tehsil Kheragarh, District Agra
3.	Fuel type	:	LPG
4.	Area	:	TTZ (Taj Trapezium Zone)
5.	Gata No. 1068/2	:	M/s Khushi Infotech LLP
6.	Gata No. 960	:	M/s G.G. Infratech India Pvt. Ltd.
7.	Air Pollution Control System	:	Wet Scrubber
8.	Co-ordinate of the Hot Mix Plant Location point (Decimal units)	: Latitude	N 26° 98' 04.34"
		: Longitude	E 77° 95' 11.67"
9.	Siting Location	:	Distance (In meters) Nearest Petrol Pump - Approx. 160 m Distance from Village Veerai - Approx. 500 m Distance from Village Tehra - Approx. 670 m National Highway - NH-44 situated towards southern side

5.0. Finding /Observation made by the Joint committee during site inspection:

1. At the time of inspection, the Hot Mix Plant was not found operational.
2. Representative of the unit (Mr. Sandeep Mittal) informed that the plant has been non-operational for more than two years.
3. Construction material was found stored within the premises.
4. The Hot Mix Plant is operated by the electricity supplied by a D.G. Set of 125 K.V.A., The D.G. Set was found not equipped with an adequate acoustic enclosure and was not provided with a chimney of requisite height and no appropriate air pollution control system was found installed, in violation of the norms prescribed by CPCB.
5. During the course of inspection, the Joint Committee verified the land ownership details of the Hot Mix Plant premises through available revenue records (Khatauni ANNEXURE – II). It was found that:
 - The industrial activity is being carried out over Gata No. 960 (2.1790 Ha) recorded in the name of M/s G.G. Infratech India Pvt. Ltd.
 - Adjacent land parcel Gata No. 1068/2 (0.4330 Ha) is recorded in the name of M/s Khushi Infotech LLP.

- The total land area under use for the Hot Mix Plant premises is approximately 2.6120 Hectare.
 - The said land parcels fall within Village Veerai, Tehsil Kheragarh, District Agra and are situated inside the notified Taj Trapezium Zone (TTZ) area.
 - As per UP Pollution Control Board Headquarters, Lucknow, vide Letter No. H-33039/C-4/Consent-304/Show Cause Notice/2025 dated 25.09.2025, a Show Cause Notice was issued against M/s G.G. Infratech, Village–Virai, Tehsil–Kheragarh, District–Agra under Section 33A of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (as amended), and subsequently, vide Letter No. H-38316/C-4/Consent-304/Closure Order/2026 dated 23.02.2026, a Closure Order was issued against the said unit under the same statutory provisions. Copy of the said Show cause and Closure order Letter's is appended as **Annexure III**
6. During inspection, the Mixer Drum and Four-bin Feeder were sealed by the Joint Committee in compliance with the Closure Order issued under Section 33A of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. Copy of the said proceedings of sealing are annexed herewith as **Annexure–IV**.

GPS Photographs taken during inspection dated 24.02.2026



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

6.0 CONCLUSION

- The applicant has raised grievances regarding the alleged illegal operation of two Hot Mix Plants by M/s Khushi Infotech at Gata No. 1068/2 and M/s G.G. Infotech at Gata No. 960, situated at Village Veerai, Tehsil Kheragarh, District Agra, falling within the TTZ area in violation of environmental norms; however, during inspection, only one Hot Mix Plant was found installed at the site.
- The Hot Mix Plant situated at Gata Nos. 960 and 1068/2, Village–Virai, Tehsil–Kheragarh, District–Agra, falling within the notified TTZ area, was found non-operational at the time of inspection, and it is observed that UP Pollution Control Board Headquarters, Lucknow had issued a Show Cause Notice dated 25.09.2025 followed by a Closure Order dated 23.02.2026 under Section 33A of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 against M/s G.G. Infratech; in compliance thereof, the Mixer Drum and Four-bin Feeder were sealed during inspection, and the unit stands sealed and closed.

Inspection Team:

Sr. No.	Name of Inspecting Officers	Designation	Signature
1.	Mr. Vinod Chaudhary	SDM-Judicial Magistrate, Kheragarh, Agra	
2.	Dr. Vipul Kumar Singh	Scientist 'C', Project office, CPCB, Agra	
3.	Mr. Amit Mishra	RO, UPPCB, Agra	

जिलाधिकारी महोदय,

कृपया पत्रावली में दाहिनी ओर सम्मुख संलग्न मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-669/2025 (अभय शर्मा बनाम स्टेट आफ यू०पी० व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 05.01.2026 का अवलोकन करने का कष्ट करें। (पताका- 'क')

मा० अधिकरण के द्वारा दिनांक 05.01.2026 को पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत् है:-

"7. In view of the averments in the application, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttar Pradesh through Principal Secretary, Environment, Forest and Climate Change, Government of U.P.; (2) District Magistrate, Agra; (3) Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) through Member Secretary; (4) M/s. Khushi Infotech at Gata no. 1068/2, Village Veerai, Tehsil Kheragadh, District Agra and (5) M/s. G.G. Infotech at Gata no. 960, Village Veerai, Tehsil Kheragadh, District Agra who are impleaded as respondents no. 1 to 5. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application.

8. The Registry is directed to issue notice to respondents no. 1 to 5 along with copy of the original application and documents attached with the same.

9. In view of the averments made in the application, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representatives of Central Pollution Control Board (CPCB), Uttar Pradesh Pollution Control Board and District Magistrate, Agra and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and suggest appropriate remedial action. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

10. Responses by respondents no. 1 to 5 and report of the Joint Committee may be filed within two months.

11. List on 11.03.2026 for further consideration.

12. The applicant may be informed about the next date of hearing fixed and be asked to join the proceedings physically or through V.C. on that date."

उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत प्रकरण में जनपद-आगरा के दो हॉटमिक्स प्लान्ट जोकि टी०टी०जेड० एरिया में संचालित है तथा जिनके नाम क्रमशः मै० खुशी इन्फ्राटेक, गाटा नं०-1068/2 एवं मै० जी०जी० इन्फ्राटेक गाटा सं०-960, ग्राम-वीरई, तहसील- खेरागढ़, जनपद आगरा के सम्बन्ध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं जिलाधिकारी, आगरा की संयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण किया जाना निर्दिष्ट है।

मा० अधिकरण के आदेशों के क्रम में संयुक्त समिति गठित किये जाने हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से डॉ० विपुल कुमार सिंह, वैज्ञानिक 'ग' को सदस्य नामित किया गया है। (पताका- 'ख')

उपरोक्त के क्रम में जिलाधिकारी महोदय, आगरा की तरफ से संयुक्त समिति गठित किये जाने हेतु अधिकारी नामित करने एवं संयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण किये जाने हेतु तिथि एवं समय देना चाहें।

महोदय, (i) जिला SDM
(ii) RO - UPPCB
(iii) CPCB

अपर जिलाधिकारी (आगरा)
ओ०सी०, मा० राष्ट्रीय हरित
अधिकरण

(अमित मिश्रा)
क्षेत्रीय अधिकारी

को नामित करना चाहे।
wind chandhey Dy. Walled
nominates

जिलाधिकारी,
आगरा।



सत्यमेव जयते

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड


CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD

परियोजना कार्यालय, आगरा

PROJECT OFFICE, AGRA

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE, GOVT. OF INDIA



सं० परि०का०आ०/प्रशा०/एन.जी.टी./149(ii)-15/292

दिनांक 05.02.2026

सेवा में,

1. जिलाधिकारी महोदय, आगरा
2. क्षेत्रीय अधिकारी,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा

विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ.ए. सं. 669/2025 "Abhay Sharma vs U.P. & Ors." में पारित आदेश दिनांक 05.01.2026 के अनुपालन हेतु संयुक्त समिति में नामांकन के संबंध में।

4440/E महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ.ए. सं. 669/2025 "Abhay Sharma vs U.P. & Ors." में पारित आदेश दिनांक 05.01.2026 माननीय एन.जी.टी. की वेबसाइट पर उपलब्ध एवं संलग्नानुसार है। उक्त पारित आदेश दिनांक 05.01.2026 के सुसंगत अंश निम्नवत् है-

"...9. In view of the averments made in the application, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representatives of Central Pollution Control Board (CPCB), Uttar Pradesh Pollution Control Board and District Magistrate, Agra and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and suggest appropriate remedial action. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

10. Responses by respondents no. 1 to 5 and report of the Joint Committee may be filed within two months.

11. List on 11.03.2026 for further consideration.

मा० एन.जी.टी. द्वारा दिये गये उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में संयुक्त समिति बनाये जाने हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से डॉ० विपुल कुमार सिंह, वैज्ञानिक 'ग' परियोजना कार्यालय, आगरा (मो.नं.-7906254789, ई-मेल: vipul.opcb@gov.in) को सदस्य नामित किया गया है।

कृपया आपके अवलोकन, सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

(अंकुर तिवारी)
प्रभारी अधिकारी

प्रतिलिपि :- सादर सूचनार्थ प्रेषित।

- प्रभारी, IPC-V, के०प्र०नि० बोर्ड, दिल्ली।
- क्षेत्रीय निदेशक, के.प्र.नि. बोर्ड, लखनऊ।

(प्रभारी अधिकारी)

परियोजना कार्यालय :

4, धौलपुर हाउस, एम.जी. रोड, आगरा - 282001

4, Dholpur House, M.G. Road, Agra - 282001

फैक्स : 0562-2421568, दूरभाष : 0562-4005877, 2421548

ई-मेल : E-mail : poagra.cpcb@nlc.in

प्रधान कार्यालय / Head Office

'परिवेश भवन' पूर्वी अर्जुन नगर, शाहदरा, दिल्ली - 110032

'Parivesh Bhawan', East Arjun Nagar, Shahdara, Delhi-110032

EPABX / दूरभाष / Tel: +91-11-43102030, 22303717

फैक्स / Fax : 0091-11-22304948, 22307078

वेब साइट : www.cpcb.nic.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या-H38188 /सी-4/ एन0जी0टी0-480/2026

पंजीकृत दिनांक 19-02-26

सेवा में,

1 सदस्य सचिव,
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर,
दिल्ली-110032।

2 जिलाधिकारी
आगरा,

विषय:-माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-669/2025 अमय शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश एण्ड अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.01.2026 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-669/2025 अमय शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश एण्ड अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.01.2026 (छायाप्रति सलग्न) का संदर्भ लें। आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत् है:-

".....9. In view of the averments made in the application, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representatives of Central Pollution Control Board (CPCB), Uttar Pradesh Pollution Control Board and District Magistrate, Agra and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and suggest appropriate remedial action. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance....."

उक्त प्रकरण में माननीय एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन हेतु संयुक्त समिति के सदस्य के रूप में अधिकारी नामित करते हुए अधिकारी नाम, पद नाम एवं मोबाईल नं0- उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, को ई-मेल के माध्यम से ई-मेल आई0डी0-ms@uppcb.in एवं ceo4@uppcb.in पर प्रेषित करना चाहें।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से संयुक्त समिति के सदस्य के रूप में श्री अमित मिश्रा क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा मोबाईल नं0-7080925588 को नामित किया जाता है।

प्रकरण में अधिम सुनवाई की नियत तिथि 11/03/2026 है।

सलग्नक:-सथोपरि।

भवदीय,

Digitally signed by
Sanjeev Kumar Singh
Date: 19-02-2026
15:48:35 सचिव

प्रतिलिपि:-क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

JA
file it
19/2/26
ASD

उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित पति)

24/February/2026 02:42:56 PM

Ann-2

जनपद : आगरा

तहसील : खैरागढ़

ग्राम : वीरई

ग्राम कोड : 124979

परसनी बर्फ : 1428-1433 (01 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2026)

खाना संख्या : 00095

श्रेणी : 1-क/भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।

खतदार का विवरण	(2)	(3)	(4)	भूमि का विवरण		खतदार का अंश		
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)		न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत चार संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जात का आधार	वर्ष	गाटा (पृथीक कोड)	गाटा का कुल क्षेत्रफल(हे०)	हिस्से में	क्षेत्रफल में(हे०)	खतदार द्वारा देय भू-राजस्व
1) खुशी इन्फोक एल0एल0पी0 / डेजीनेटेड गार्डन विवेक पुत्र / राधेश्याम पि0 132 डिफेंस स्टेट पॅस2आगरा			1421 फ.	1068/2 (1249791068100212)	0.4330	1) 1/1	1) 0.4330	13.10
					0.4330		0.4330	

कुल गाटे : एक कुल क्षेत्रफल : शून्य दशमलव चार तीन तीन शून्य (हिकेटेर)

कुल भू-राजस्व : एक तीन दशमलव एक शून्य रुपये

कुल अंश का क्षेत्रफल : शून्य दशमलव चार तीन तीन शून्य (हिकेटेर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण		खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत चार संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / जिल्ला हस्ताक्षर नाम (पदनाम) / जिल्ला हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयवक हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / पृथकीक कोड	(13) क्षेत्रफल(हे०)	(14) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयवक हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / पृथकीक कोड	(16) क्षेत्रफल(हे०)	

(17) श्रुति के सम्बन्ध में विद्यारथीन राजस्व वाद की कम्प्यूटरीकृत संख्या

(18) बंधक/बधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक))

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)):

(19) अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण :

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (यूएड (ITD) के वाद प्रस्त/विक्रम/पु-संस्था/नामांतरण वही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें।

Disclaimer: उक्त आर्टिकल मात्र अवगतनामक है, उक्त विवरण अधिन है, तहकील कम्प्यूटर केन्द्र एचएम सी एस सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy apply through e-district portal/CSC/Tehsil Computer Centre

Software Powered By: National Informatics Centre, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

उद्धरण खतीनी (अप्रमाणित प्रति)

24/February/2026 02:39:31 PM

जनपद : आगरा

ग्राम कोड : 124979

तहसील : खैरागढ़

फसली वर्ष : 1428-1433 (01 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2026)

ग्राम : बीरई

खता संख्या : 00331

श्रेणी : 1-क/भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो

खसरा/ गाटा संख्या	खतदार का विवरण (2)	खतदारी प्रारम्भ होने का विवरण (3)	वर्ष (4)	कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के बाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें।	खतदार का अंश			
					(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में(हे०)	(9) खतदार द्वारा देय भू-राजस्व
960	1) भाव सिंह / भूप सिंह / रोहता तह.आगरा 2) वाहुलाल / लक्ष्मन सिंह / रोहता तह.आगरा 3) प्रेम सिंह / लक्ष्मन सिंह / रोहता तह.आगरा 4) नन्द किशोर / लक्ष्मन सिंह / रोहता तह.आगरा 5) मै० मधु एग्नीकल्चर 9/228 बागा / मुजफ्फर खौं आगरा बजरिसे / गार्डर भूपेन्द्र कुमार HUF 6) पुत्र बनारसीदास वर्मा नि० / 9/228 बागमुजफ्फर खौं / आगरा	न्यायालय का नाम / कम्प्यूटीकृत बाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जात का आधार	1403फ.	960 (1249790960000012)	2.1790			72.45

कुल गाटे : एक	कुल क्षेत्रफल : दो दशमलव एक सात नौ शून्य (दिवेदर)	कुल भू-राजस्व : सात दो दशमलव चार पांच रुपये
---------------	---	---

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण		खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम (पदनाम) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयवक हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे०)	(14) नाम/पिता-पति-संरक्षक- प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयवक हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल(हे०)	
1) राजस्व न्यायालय (पावब तहसीलदार) / T202401010501727 / 18-07-2024 / विक्रय / SUDHIR KUMAR RAJPUT (रजिस्ट्रार कारूनगो) / 23- 10-2024	1.1) भाव सिंह/शुभ सिंह/रोहिता तह.आगरा (:-) 1.2) वाकूलाल/लक्ष्मन सिंह/रोहिता तह.आगरा (:-) 1.3) प्रेम सिंह/लक्ष्मन सिंह/रोहिता तह.आगरा (:-) 1.4) नन्द किशोर/लक्ष्मन सिंह/रोहिता तह.आगरा (:-)	960 (1249790960000012)	1.1) 0.0000 1.2) 0.0000 1.3) 0.0000 1.4) 0.0000	1.1) श्री०जी० इन्द्रासोल इन्डिया ग्रो लि० / 1722 हिफेस स्टेट फेस 1 बुर्रू कटरा ग्वालियर रोड आगरा / बजरिसे फार्मर सन्दीप सिन्हा पुत्र स्व० रामविलास सिन्हा कीम कैथ निवासी 172 हिफेस स्टेट फेस 1 बुर्रू कटरा ग्वालियर रोड आगरा	960 (1249790960000012)	1.1) 0.0000	
<p>1) कृषिक से अकृषिक (धारा 80): व आदेश उपजिलाधिकारी महोदय खैरगढ़ वाद सं० T2023118053229 आदेश दिनांक 17.10.2023 अन्तर्गत धारा 80 उपप्र० राजस्व संहिता 2006 के अनुसार मौजा धीरई तहसील खैरगढ़ जिला आगरा के खाला संख्या 00331 के गाटा संख्या 960 रकबा 2.1790 हे० लगानी 72.45 रु० के नं० 1/2 भाग रकबा 1.0895 हे० लगानी 36.22 रु० पर दर्ज खालदार सं० पश एपीकलक्टर 9/228 बाग/मुजफ्फर खां आगरा बजरिसे फार्मर शून्य कुमार वर्मा (पश०यु०एफ०) पुत्र स्व० बनारसीदास वर्मा कीम क्षत्रिय सुनार लि० 9/228 बाग/मुजफ्फर खां आगरा के नाम अंकित उपरोक्त भूमि को उपप्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 80/(1) के संदर्भित निम्न 85(2) व (3) के अन्तर्गत आबादी/अकृषक घोषित किया जाता है। यह भूमि कृषि, बागवानी, पशुपालन विधेक अन्तर्गत मत्स्य सम्बद्ध, कुक्कुट पालन भी है, से असम्बद्ध प्रयोजन के लिए प्रयुक्त की जा रही है द्वारा प्रख्यापन सं०र०का० (डिजिटल हस्ताक्षर: SUDHIR KUMAR RAJPUT / 06-11-2023)</p>							

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक))

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19) अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण :

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (पूछड़ (गाँव) के बाद प्रस्ता /विकल्प /भू-मालका /गणितारण बली) हेतु उसरा संख्या पर किलक करे।
Disclaimer: उक्त ऑनलाइन मात्र अवलोकनार्थ है, उक्त विवरण अद्यतन है, वरसील कम्प्यूटर केन्द्र एचएम सी एस सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धारण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।
Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visits required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tehsil Computer Centre.
Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



पत्रांक : 1383/6 / सी-4 / सहमति-304 / बन्दी आदेश / 2026.

पंजीकृत

दिनांक : 23-02-26

मै0 जी०जी० इन्फ्राटेक,
ग्राम-वीरई, तहसील-खेरागढ़,
जनपद-आगरा।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा पूर्व में पत्रांक-464/ओजी-710/2025 दिनांक 21.08.2025 के माध्यम से प्रेषित आख्या के अनुक्रम में उद्योग मै0 जी०जी० इन्फ्राटेक, ग्राम-वीरई, तहसील-खेरागढ़, जनपद-आगरा को बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक-एच33039/सी-4/सहमति-304/का0ब0नो0/2025 दिनांक 25.09.2025 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है।

यह कि प्रश्नगत उद्योग का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 02.12.2025 को उद्योग प्रतिनिधि श्री भूपेन्द्र सिंह, सुपरवाइजर की उपस्थिति में किया गया। आख्यानुसार इकाई द्वारा कच्चे माल के रूप में स्टोन एग्रीगेट्स एवं बिटुमिन का उपयोग कर बिटुमिनस हॉट मिक्स कंक्रीट का उत्पादन किया जाना सूचित है। उद्योग प्रतिनिधि द्वारा हॉटमिक्स प्लांट की हॉट मिक्स कंक्रीट उत्पादन क्षमता से अवगत नहीं कराया जा सका एवं प्लांट से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। उक्त उद्योग केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रवर्गीकृत उद्योगों की सूची में नारंगी श्रेणी के अन्तर्गत आच्छादित है। इकाई द्वारा जल का उपयोग स्क्रबिंग प्रक्रिया एवं घरेलू प्रयोजन में किया जाना सूचित है। स्क्रबिंग प्रक्रिया में प्रयुक्त जल को सेटलिंग टैंक के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाना सूचित है। निरीक्षण के समय स्क्रबिंग प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न उत्प्रावह के निस्तारण हेतु समुचित स्थापित नहीं पायी गयी। घरेलू प्रयोजन से जनित होने वाले वहिश्राव के शुद्धीकरण हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट की व्यवस्था निरीक्षण के समय स्थापित नहीं पायी गयी। इकाई की प्रक्रिया में फायरिंग हेतु ईंधन के रूप में एल०पी०जी० का प्रयोग किया जाना सूचित है। परिसर में हॉट मिक्स प्लांट के संचालन हेतु एल०पी०जी० गैस के सिलेण्डरों का भण्डारण पाया गया, किन्तु एल०पी०जी० उपयोग सम्बन्धी सक्षम अधिकारी से निर्गत अनुज्ञा पत्र तथा एल०पी०जी० भण्डारण हेतु एक्सप्लोसिव विभाग की अनापत्ति पत्र एवं एल०पी०जी० स्टॉक रजिस्टर निरीक्षण के समय प्रस्तुत नहीं किये गये। इकाई की उद्योगिक प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न गैसीय उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु वेट स्क्रबर की व्यवस्था स्थापित पायी किन्तु बिटुमिनस टैंक एवं मिक्चर टैंक से उत्पन्न गैसीय उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु पर्याप्त ऊँचाई की चिमनी स्थापित नहीं पायी गयी। उक्त के अतिरिक्त उद्योग में 125 के०वी०ए० क्षमता का एक डी०जी० सेट कैनोपी मुक्त स्थापित पाया गया। डी०जी० सेट के एगजॉस्ट पर संलग्न चिमनी की ऊँचाई बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पायी गयी। इकाई द्वारा स्टोन एग्रीगेट्स के अनलोडिंग के समय उत्पन्न डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु समुचित जल छिड़काव की व्यवस्था तथा नियमानुसार बाउन्ड्रीवॉल स्थापित नहीं किया गया है। इकाई द्वारा हॉट मिक्स प्लांट के संचालन हेतु राज्य बोर्ड से सहमति (जल एवं वायु) आदेश प्राप्त नहीं किया गया है। उद्योग का संचालन राज्य बोर्ड से बिना सहमति (जल एवं वायु) आदेश किये किया गया है।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा पत्रांक-826/ओजी-710/2025 दिनांक 24.12.2025 के माध्यम से प्रेषित आख्या में उद्योग मै0 जी०जी० इन्फ्राटेक, ग्राम-वीरई, तहसील-खेरागढ़, जनपद-आगरा के विरुद्ध जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 25.09.2025 की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति दिनांक 24.12.2025 के अनुक्रम में मै0 जी०जी० इन्फ्राटेक, ग्राम-वीरई, तहसील-खेरागढ़, जनपद-आगरा को जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 25.09.2025 की पुष्टि करते हुये वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31(ए) के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेश/निर्देश तत्काल प्रभाव से जारी किये जाते हैं :-

1. यह कि मै0 जी०जी० इन्फ्राटेक, ग्राम-वीरई, तहसील-खेरागढ, जनपद-आगरा की औद्योगिक प्रकिया का संचालन तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे उद्योग मै0 जी०जी० इन्फ्राटेक, ग्राम-वीरई, तहसील-खेरागढ, जनपद-आगरा को मिलने वाली विद्युत/पानी की आपूर्ति सहित अन्य सुविधाओं की अनुमति आदि को निरस्त कर विच्छेदित/बंद कर दें।
सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

Digitally signed by
RAM GOPAL
Date: 23-02-2026
12:21:38

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी, आगरा को इस अनुरोध के साथ कि संदर्भित उद्योग को बंद कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. महाप्रबन्धक जल संस्थान, आगरा।
3. अधिशासी अभियंता, उ०प्र० पावर कॉर्पोरेशन लि० (विद्युत वितरण), आगरा।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को इस निर्देश के साथ कि बंदी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित करें।

Recd
Sandeep
24/2/26
9837049167
Sandeep Mittal



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



पंजीकृत

पत्रांक : H33039...../सी-4/सहमति-304/का0ब0नो0/2025.

दिनांक : 25/09/25

मेसर्स जी0जी0 इन्फ्राटेक,
ग्राम-वीरई, तहसील-खेरागढ़,
जनपद-आगरा।

यह कि मेसर्स जी0जी0 इन्फ्राटेक, ग्राम-वीरई, तहसील-खेरागढ़, जनपद-आगरा द्वारा कच्चे माल के रूप में स्टोन एग्रीगेट्स एवं बिदुमिन का प्रयोग कर बिदुमिनस हॉट मिक्स कंक्रीट के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है।

यह कि संदर्भित हॉट मिक्स प्लाण्ट के संचालन फलस्वरूप उत्पन्न वायु प्रदूषण के विरुद्ध श्री अमय शर्मा पुत्र श्री उमेश कुमार शर्मा, प्रो० सैंधिया फिलिंग स्टेशन, ग्राम-वीरई, तह0-खेरागढ़, जनपद-आगरा की गयी जन शिकायत के सम्बन्ध में क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा के प्राधिकारियों द्वारा उद्योग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 14.08.2025 को उद्योग प्रतिनिधि श्री अभित अग्रवाल की उपस्थिति में किया गया।

आख्यानसार निरीक्षण के समय हॉट मिक्स प्लाण्ट स्वयं के कारणों से बन्द पायी गयी। उद्योग को सन्दर्भित हॉट मिक्स प्लाण्ट की स्थापना हेतु राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होना अभिलेखों में संज्ञानित नहीं है। सन्दर्भित उद्योग स्थल के पूरब दिशा में 500 मी० की दूरी तक खुला मैदानी क्षेत्र, पश्चिम दिशा में लगभग 20 मी० की दूरी पर ग्वालियर-आगरा राज्यमार्ग, उत्तर दिशा में लगभग 700 मी० की दूरी पर ग्राम-नगला केशरी का आबादी क्षेत्र एवं दक्षिण-पश्चिम दिशा में लगभग 180 मी० की दूरी पर मै० सैंधिया फिलिंग स्टेशन के नाम से भारत पेट्रोलियम का रिटेल आउटलेट स्थापित पाया गया। उद्योग का स्थल ताज ट्रेपैजियम जोन (टी०टी०जैड०) के अन्तर्गत आच्छादित होना संज्ञानित है। उद्योग प्रतिनिधि द्वारा हॉटमिक्स प्लाण्ट की हॉट मिक्स कंक्रीट उत्पादन क्षमता से अवगत नहीं कराया जा सका एवं प्लाण्ट से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। उक्त उद्योग केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रवर्गीकृत उद्योगों की सूची में नारंगी श्रेणी के अन्तर्गत आच्छादित है। सन्दर्भित उद्योग द्वारा जल का उपयोग स्क्रबिंग प्रक्रिया एवं घरेलू प्रयोजन में किया जाता है। स्क्रबिंग प्रक्रिया में प्रयुक्त जल को सेटलिंग टैंक के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाता है। निरीक्षण के समय स्क्रबिंग प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न उत्प्राह के निस्तारण हेतु समुचित स्थापित नहीं पायी गयी। घरेलू प्रयोजन से जनित होने वाले बहिःश्राव के शुद्धीकरण हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट की व्यवस्था निरीक्षण के समय स्थापित नहीं पायी गयी। सन्दर्भित उद्योग की प्रक्रिया में फायरिंग हेतु ईंधन के रूप में एल०पी०जी० का प्रयोग किया जाना सूचित है। परिसर में हॉट मिक्स प्लाण्ट के संचालन हेतु एल०पी०जी० गैस के सिलेण्डरों का भण्डारण पाया गया, किन्तु एल०पी०जी० उपयोग सम्बन्धी सक्षम अधिकारी से निर्गत अनुज्ञा पत्र तथा एल०पी०जी० भण्डारण हेतु एक्सप्लॉसिव विभाग की अनापत्ति पत्र एवं एल०पी०जी० स्टॉक रजिस्टर निरीक्षण के समय प्रस्तुत नहीं किये गये। सन्दर्भित उद्योग की उद्योगिक प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न गैसीय उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु वेट स्क्रबर की व्यवस्था स्थापित पायी, किन्तु बिदुमिनस टैंक एवं मिक्चर टैंक से उत्पन्न गैसीय उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु पर्याप्त ऊँचाई की चिमनी स्थापित नहीं पायी गयी। उक्त के अतिरिक्त उद्योग में 125 के०वी०ए० क्षमता का एक डी०जी० सट कॅनोपी मुक्त स्थापित पाया गया। डी०जी० सट के एगजॉस्ट पर संलग्न चिमनी की ऊँचाई बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पायी गयी। सन्दर्भित उद्योग द्वारा स्टोन एग्रीगेट्स के अनलोडिंग के समय उत्पन्न डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु समुचित जल छिड़काव की व्यवस्था तथा नियमानुसार बाउन्ड्रीवॉल स्थापित नहीं किया गया है। सन्दर्भित उद्योग द्वारा हॉट मिक्स प्लाण्ट के संचालन हेतु राज्य बोर्ड से सहमति (जल एवं वायु) आदेश प्राप्त नहीं किया गया है। उद्योग का संचालन राज्य बोर्ड से बिना सहमति (जल एवं वायु) आदेश किये किया गया है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित में प्रख्यापित प्राविधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, आगरा द्वारा पत्रांक सं०-464/ओजी-710/2025 दिनांक 21.08.2025 द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति में संदर्भित उद्योग के विरुद्ध प्राप्त जन शिकायत एवं ताज ट्रेपैजियम जोन (टी०टी०जैड०)

टी.सी.-12वीं, विभूति खण्ड,
गोमि नगर, लखनऊ-226010
ई-मेल-info@uppcb.com
वेबसाइट-uppcb.up.gov.in

T.C.-12V., Vibhuti Khand,
Gomil Nagar, Lucknow-226010
E-mail: info@uppcb.com
Web Site: uppcb.up.gov.in

cc04

के अन्तर्गत औद्योगिक गतिविधि अनुमन्य नहीं होने के आलोक में उक्त सन्दर्भित उद्योग मेसर्स जी0जी0 इन्फ्राटेक, ग्राम-वीरई, तहसील-खेरागढ, जनपद-आगरा में स्थापित हॉट गिक्स प्लाण्ट के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की सुसंगत धारा के अन्तर्गत बन्दी निर्देश जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अत उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति दिनांक 21.08.2025 के अनुक्रम में उद्योग मेसर्स जी0जी0 इन्फ्राटेक, ग्राम-वीरई, तहसील-खेरागढ, जनपद-आगरा के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए यथासंशोधित के अन्तर्गत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

- 1 यह कि क्यों न उद्योग मेसर्स जी0जी0 इन्फ्राटेक, ग्राम-वीरई, तहसील-खेरागढ, जनपद-आगरा के विरुद्ध तत्काल प्रभाव से बन्दी आदेश जारी कर दिये जाए।
- 2 यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाये कि उद्योग मेसर्स जी0जी0 इन्फ्राटेक, ग्राम-वीरई, तहसील-खेरागढ, जनपद-आगरा को मिलने वाली विद्युत एवं पानी की आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित करते हुए अन्य सुविधाओं को रोक दिया जाए।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। निर्धारित अवधि में सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में प्रश्नगत उद्योग के विरुद्ध उपरोक्त वर्णित कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग के जिम्मेदार प्राधिकारियों का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

Digitally signed by
RAM GOPAL
Date: 24-09-2025
13:20:29

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4

प्रतिलिपि: क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संदर्भित उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर निर्धारित समयावधि में उद्योग की अनुवर्ती निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

910

अनुपालन आख्या

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-669/2025 अभय शर्मा बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 05.01.2026 के अनुपालन में प्रश्नगत प्रकरण पर अद्यतन स्थिति से अवगत कराने हेतु जिलाधिकारी महोदय, आगरा द्वारा दिनांक 8.0.2026 को संयुक्त समिति गठित की गयी है। अग्रेतर उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्रांक सं0-एच 38316/सी-4/सहमति-304/बन्दी आदेश/2026 दिनांक-23.02.2026 द्वारा मै0 जी0जी0 इन्फ्राटेक, ग्राम- वीरई, तहसील-खेरागढ़, जनपद-आगरा के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश निर्गत है। दिनांक 24.02.2026 को स्थलीय निरीक्षण समिति के नामित उपजिलाधिकारी (न्यायिक), तहसील-खेरागढ़, आगरा, वैज्ञानिक 'ग', परियोजना कार्यालय केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा तथा सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा किया गया। प्रश्नगत हॉट मिक्स प्लान्ट ताज ट्रेपेजियम जोन क्षेत्र में स्थापित व संचालित है। निरीक्षण के समय पाये गये अन्य तथ्य निम्नवत् है-

- ① प्रकार रूपल पर हॉट मिक्स प्लान्ट संचालित नहीं किया गया।
- ② Unit के प्रतिनिधि पर केंद्रीय मितल द्वारा अवगत किया गया कि प्लान्ट पिछले 2 जल के अधिक से नहीं कार्यरत है।
- ③ प्लान्ट परिसर में निर्माण कार्यवाही कोई भंडारित नहीं।
- ④ Unit के प्रतिनिधि द्वारा सूचित किया गया कि गारा कंब्या 1068/2 मै० श्रुशी इन्फ्राटेक रेल. रेल. पी के नाम तथा गारा कंब्या 960 मै० जी. जी. इन्फ्राटेक ^{डा. वि. (जा. वि.)} के नाम रखे हैं।
- ⑤ हॉट मिक्स प्लान्ट के समीप स्थलों की दूरी:- पेट्रोल पम्प 160 मी०, ग्राम- वीरई 500 मी०, ग्राम- लेहवा 670 मी० तथा पश्चिम में NH-44 स्थित है।
- ⑥ मिक्स ड्रम तथा फोरबिस पीडट को सील किया गया।

किरीश पटेल

ASO, UPPCB आगरा

24/2/26
डॉ विजुल कुमार सिंह
वैज्ञानिक 'ग', CPCB आगरा

उप जिलाधिकारी (न्यायिक)
खेरागढ़, आगरा

जी शरीप मितल
c/o मै० जी. जी. इन्फ्राटेक, वीरई ग्राम
खेरागढ़, आगरा

माननीय राष्ट्रीय दूरित आधिकारण, नई दिल्ली में
 योजित ओ० ख० संख्या - 669/2025 जसम शर्मा
 बनाम उत्तर प्रदेश स्टेट अन्र्थ में पारित आदेश दि० 05.01.2026
 के अनुपालन में दिनांक 24.02.2026 को संयुक्त टीम
 की उपस्थिति का विवरण:

1: उपजिला अधिकारी (न्यायिक), खैरागढ़, आगरा


24/02/26

2: - डा० विपुल कुमार सिंह, वैज्ञानिक
 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा



24/2/26

3: श्रीतीक्ष्ण पटेल, महावैज्ञानिक अधिकारी
 उच्च प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा


24/2/26

4: श्री सिद्धिपति मिश्रा

40 मे० जी० जी० इन्फ्रास्ट्रक्चर
 गांव विरई, खैरागढ़, आगरा


24/02/26

5: अमित मिश्रा, ज्ये० अधिकारी,
 यू. पी. सी. सी. सी. आगरा


24/02/2026